न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 46 / 2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी बान्दरा		श्री निम्बाराम पुत्र श्री राणाराम कौम माली निवासी सर का पार तहसील बाड़मेर ग्रामीण

<u>राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम सर का पार के खसरा नम्बर 769 रकबा 06–10 बीघा किस्म गै.मु. में से 03–05 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्त्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.18 का 50 गुना रूपये 09 / – (अक्षरे नौ रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक कवास एवं पटवारी बान्दरा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 47 / 2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी बान्दरा		श्री ओम प्रकाश, पारसमल, खेमाराम, रेवताराम, शंकरलाल पुत्रान मूलाराम कौम गवारिया निवासी चंदाणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण

<u>राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम चंदाणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 643 / 544 रकबा 33–05 बीघा किस्म बारानी सोयम में से 17–05 बीघा एवं खसरा नंबर 645 / 544 में रकबा 24–10 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 1–12 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्त्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 1.12 का 50 गुना रूपये 56 / – (अक्षरे छपन्न रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक कवास एवं पटवारी बान्दरा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 48/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी बान्दरा		श्री पीराराम, रमेश कुमार, प्रकाश पुत्रान अनाराम कौम गवारिया निवासी चंदाणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2081 के दौरान ग्राम चंदाणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 643/544 रकबा 33–05 बीघा किस्म बारानी सोयम में से 12–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्त्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.60 का 50 गुना रूपये 30/– (अक्षरे तीस रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक कवास एवं पटवारी बान्दरा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम क्र फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 49/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी बान्दरा		श्री लूणाराम, जगदीश, गोमाराम, चूनाराम, रमेश कुमार पुत्रान किसनाराम कौम गवारिया निवासी चंदाणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2081 के दौरान ग्राम चंदाणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 643/544 रकबा 33–05 बीघा किस्म बारानी सोयम में से 1–00 बीघा एवं खसरा नंबर 645/544 में रकबा 24–10 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 11–05 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.61 का 50 गुना रूपये 31/– (अक्षरे इकतीस रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक कवास एवं पटवारी बान्दरा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 50/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी बान्दरा		श्री शेराराम, जोगाराम, भंवराराम, अर्जुनराम पुत्रान मोडाराम कौम गवारिया निवासी चंदाणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम चंदाणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 643/544 रकबा 33–05 बीघा किस्म बारानी सोयम में से 1–00 बीघा एवं खसरा नंबर 645/544 में रकबा 24–10 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 11–05 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.गो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.61 का 50 गुना रूपये 31/– (अक्षरे इकतीस रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक कवास एवं पटवारी बान्दरा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ग्रामीण

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 51/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी बान्दरा		श्री कूम्पसिंह पुत्र श्री भूरसिंह, धर्मसिंह, मांगसिंह, नगसिंह, पनसिंह, छुगसिंह पुत्रान कुम्पसिंह कौम राजपूत निवासी सांसियों की बस्ती तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2081 के दौरान ग्राम सांसियों की बस्ती के खसरा नम्बर 562 रकबा 34–19 बीघा किस्म बारानी दोयम में से संपूर्ण रकबा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्त्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 2.10 का 50 गुना रूपये 105/– (अक्षरे एक सौ पांच रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक कवास एवं पटवारी बान्दरा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ग्रामीण